न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी,
लखनऊ।

कि0 केस नं0– 1963 / 2019

स्टेट बनाम धर्मशील अग्रवाल एवं अन्य

दिनांक 20.9.19

पत्रावली पेश हुई। बी–27 प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रत्युष कुमार मिश्रा शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई और यह कहा गया है कि विवेचक ने अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल और अभियुक्त सम्राट के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन श्रीमती अलका सिंह, जिसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद था, उसके विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत न करके अंतिम रिपोर्ट लगा दिया गया है जबकि अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल द्वारा जो बातचीत श्रीमती अलका सिंह से की गई उस बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता का कार्य श्रीमती अलका सिंह, जो कि एडीशनल कमिश्नर आयकर थी, के यहॉ लम्बित था और उसी को करने के लिए 60 लाख रूपये श्रीमती अलका सिंह के बिहाफ पर अभियुक्त धर्मशील द्वारा मांगा जा रहा था और जिसके लिए 10 लाख रूपये देने के लिए तय हुआ था। जब अभियुक्त सम्राट व अभियुक्त धर्मशील को 10 लाख रूपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया तथा धर्मशील ने अपने बयान में बताया कि यह पैसा उसने श्रीमती अलका सिंह के कहने पर लिया है और जब सी0बी0आई0 टीम के समक्ष बातचीत धर्मशील व श्रीमती अलका सिंह के मध्य कराई गई उससे भी यही स्पष्ट होता है। जिस सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी वह श्रीमती अलका सिंह द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण कि दिनांक 3.10.18 को वह अभियुक्त धर्मशील की बात को नहीं समझी थी, अभियुक्त धर्मशील ने नॉनसेन्स बात की शुरूआत की थी। इसलिये उसने यह उत्तर दिया था कि बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वह किस व्यक्ति के सम्बन्ध में बात कर रहा है, वह समझ नहीं पाई थी। विवेचना के दौरान एक फर्जी कहानी विवेचक द्वारा बनाई गई और श्रीमती अलका सिंह को जो कि इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व था, को छोड़ दिया गया। अतः इस मामले में अग्रिम विवेचना किये जाने का आदेश दिया जाय। यह प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

सी0बी0आई0 की ओर से बी–33 जवाब दाखिल किया गया और सम्बन्धित बातों को स्पष्ट करते हुए यह बताया कि 10 लाख रूपये की रिश्वत के साथ अभियुक्त को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था जबकि अभियुक्त धर्मशील ने रिश्वत के मामले में अपनी संलिप्पता से इंकार किया और जब पूछा गया तो उसने यह बताया कि उसने श्रीमती अलका सिंह के निर्देश पर 60 लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी। जब इस मामले में श्रीमती अलका सिंह से पूछताछ की गई थी तो विवेचक को यह पता चला कि शिकायतकर्ता का काम दिनांक 28.9.18 को ही फारवर्ड होकर प्रमुख आयुक्त आयकर के पास चला गया था और वह शिकायतकर्ता से कभी नहीं मिली है इसके अतिरिक्त श्रीमती अलका सिंह द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि उनकी पुत्री का पासपोर्ट विभाग में कुछ काम लम्बित था और उसी मामले में अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल उनसे बात कर रहा था, ऐसा उन्होने समझा था। इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पासपोर्ट विभाग के कर्मचारी संजय कुमार का बयान भी लिया गया जिसने यही बताया कि श्रीमती अलका सिंह की पुत्री का काम उनके विभाग में लम्बित था और इसी सम्बन्ध में उन्होने उससे कई बार बात भी की थी और उन्हीं आधारों पर विवेचक ने श्रीमती अलका सिंह की संलिप्पतता इस प्रकरण में नहीं पाई थी और इसी कारण अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के पेज नं0 4 पर श्रीमती अलका सिंह व धर्मशील के मध्य हुई बातचीत अंकित की गई है जो इस प्रकार है–

श्रीमती अलका सिंह	:	हैलो
धर्मशील अग्रवाल	:	जी मैम
श्रीमती अलका सिंह	:	हॉ धर्मशील बोलो
धर्मशील अग्रवाल	:	अरे वो जिन जिनसे बात हुई थी, उसके लिए काम करने के लिए
श्रीमती अलका सिंह	:	हॉ
धर्मशील अग्रवाल	:	वो आदमी आया हुआ है, पैसे लेकर जो हैं
श्रीमती अलका सिंह	:	अच्छा
धर्मशील अग्रवाल	:	हॉ तो उसको जो है, अभी रख लेते है क्या करना है, जो है
श्रीमती अलका सिंह	:	बाद में डिस्कस करेगें।

इस बातचीत से यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि बातचीत श्रीमती अलका सिंह की पुत्री के पासपोर्ट के सम्बन्ध में है और यदि यह मान भी लिया जाय तब पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन व्यक्ति पैसा लेकर आने वाला था और ऐसा श्रीमती अलका सिंह के स्पष्टीकरण में कहीं वर्णित नहीं है। पासपोर्ट के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण श्रीमती अलका सिंह द्वारा दिया गया है, जिसे विवेचक ने श्रीमती अलका सिंह को इस प्रकरण में संलिप्त न होने का आधार बनाया गया है, उसका इस वार्तालाप से कहीं भी मेल नहीं है। इस बातचीत में धर्मशील अग्रवाल ने यह कहा है कि जिनके काम के लिए बात हुई थी फिर कहा कि वह आदमी आया हुआ है, पैसा लेकर। इस बीच में श्रीमती अलका सिंह द्वारा हॉ–अच्छा–बाद में डिस्कस करेंगें। इसका तात्पर्य यह कहीं नहीं है कि श्रीमती अलका सिंह बातचीत को नहीं समझ रही थी या अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल नॉनसेन्स बाते कर रहा था या यह बातचीत किसी पासपोर्ट को लेकर हो रही थी। इस बातचीत के बाद विवेचक ने उक्त दोनों के मध्य हुई कॉल डिटेल को एकत्र नहीं किया जबकि अग्रिम विवेचना की आवश्यकता थी। व्यक्ति जो 10 लाख रूपये के साथ गिरफतार हुआ, वह यह कह रहा था कि जिस अधिकारी के पास शिकायतकर्ता का काम लम्बित था, उसके कहने पर ही 60 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई है और उसी के लिए ही उसने 10 लाख रूपये लिया है तब आगे की विवेचना का आधार बनता है।

अतः इस मामले में अग्रिम विवेचना की आवश्यकता है। सी0बी0आई0 के सम्बन्धित शाखा प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले में अग्रिम विवेचना अपनी शाखा के किसी अन्य निरीक्षक से कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित को प्रेषित की जाये।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

प्रार्थना पत्र बी–25 अभियुक्त अधिवक्ता धर्मशील अग्रवाल की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे डी–38, डी–1 के 2 पेज और डी–28 के 5 पेज प्राप्त नहीं हुए है। अतः धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन कराया जाय। इस प्रार्थना पत्र में धारा 207 द0प्र0सं0 का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

आपत्ति सी0बी0आई0 की ओर से दी गई और यह कथन किया गया कि सी0एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट, को छोड कर, जो अभी सी0बी0आई0 को प्राप्त नहीं हुई है, को छोड़ कर शेष सभी प्रपत्र अभियुक्त को प्राप्त हो चुके है। जिसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अधिवक्ता की ओर से भी स्वीकार किया गया है कि सी0एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट, को छोड़कर शेष सभी प्रपत्र प्राप्त हो चुके है।

अतः इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस रूप में किया जाता है कि चूंकि सी0एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट को छोड़कर शेष सभी प्रपत्र प्राप्त हो चुके है और सी0एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः जैसे ही सी0एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट प्राप्त हो जाय, अभियुक्त को उसकी प्रति प्राप्त करा दी जाय।
पत्रावली दिनांक 10.10.19 को आरोप विरचन हेतु पेश हो।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।